श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अनुसरण में, प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को उसे बंधुआ कार्य से मुक्त कराये जाने के तुरन्त बाद 500/-रु० की तत्काल राशि दिया जाना आवश्यक है। मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की तत्काल आवश्यकताओं जिसमें उन्हें पुनर्वासित किया जाना शामिल नहीं है, को पूरा करना इसका उद्देश्य है।

(ख) राज्य सरकारों (उत्तर प्रदेश को छोड़कर) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के विभिन्न उपबंधों के अधीन 833 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। वर्ष वार हिरासत का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

IRDP Beneficiaries

2813. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the total number of families assisted under the IRDP during the last five years and the financial assistance provided to them?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHANA POOJARY): During the last five years, *i.e.*, from 1983-84 to 1987-88 under IRDP 187.22 lakh families have been assisted. These include 42.71 lakh old families assisted between 1985-86 and 1987-88. During this five year period budgetary resources of Rs. 2660.21 crores have been utilised and the Term Credit of the order of Rs. 4551.37 crores have been mobilised by the financial institutions.

राशन की दुकानों पर राशन का समय पर सप्लाई न किया जाना

2814. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में बनी दिल्ली की उचित दर दुकानों के मालिकों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली नागरिक आपूर्ति विभाग पर कतिपय गम्भीर आरोप लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपभोक्ताओं में वितरित की जाने वाली सामग्री समय से दुकानों पर नहीं भेजी गयी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और क्या किसी पृथक अभिकरण द्वारा कोई जांच करायी गयी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०एस० बेठा) : (क) से (ग) दिल्ली, प्रशासन ने कहा है कि उन्हें दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं अर्थात् गेहूं, चावल तथा लैवी चीनी की देरी से आपूर्ति करने के बारे में उचित दर की दुकानों की एक एसोसिएशन से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लगभग 3400 उचित दर की दुकानों को हर महीने इन वस्तुओं की 80,000 मी० टन मात्रा की आपूर्ति की जाती है। सामान्यतया आपूर्ति निश्चित तारीख (तारीखों) तक पूरी कर ली जाती है। कभी-कभी इतने बड़े आकार के इस कार्य में विभिन्न कारणों, जैसे ढुलाई संबंधी समस्याओं, शहर में यातायात संबंधी रोकों, आर्थिक समस्याओं आदि के कारण देरी हो जाती है। दिल्ली प्रशासन द्वारा इस तरह की समस्या दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के साथ पाक्षिक बैठकों में निपटा ली जाती हैं। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे ऐसी देरियों को कम से कम करने के लिए वाहनों की संख्या में वृद्धि को तथा अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर लगाएं।